# न्यायालय तहसीलदार, गंगापुर सिटी (जिला– सवाई माधोपुर)

मु.नं. : 27 / 19 तारीख रजू : 29.08.19 निर्णय दिनांक : 10-10-19

**सरकार बनाम राजू मेहरा पुत्र बंशीलाल**

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का चूली ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि राजू मेहरा पुत्र बंशीलाल जाति बैरवा निवासी चूली ने खसरा नं. 629 रकबा 0.01 है0 किस्म गै0मु0रास्ता वाके ग्राम चूली पर संवत् 2076 में अनाधिकृत रूप से कब्जा काश्त कर अतिचार किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी व्यक्तिगत सुनवाई व सबूत पेश करने का विधिवत् रूप से समुचित अवसर दिया गया।

पटवारी हल्का उपस्थित। गैरसायल ने न्यायालय में उपस्थित होकर जबाब पेश किया कि उक्त खसरा नम्बर पर किसी भी प्रकार का कब्जा नही है। अगर किसी भी प्रकार का कब्जा होगा तो हटा लूगां एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का अतिचार नही करूगा।

उपस्थित पटवारी हल्का ने अतिक्रमण के संबंध में अपनी रिपोर्ट की रिकॉर्ड से ताईद की एवं जमाबंदी का अवलोकन कराया। पटवारी हल्का ने अतिचारी के विरुद्ध कार्यवाही की इस्तदुआ की। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल का आराजी प्रश्नगत पर अतिचार प्रमाणित है।

अतः गैरसायल को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया जाता है एवं इन पर लगान 0.34 की 50 गुनी शास्ति 17/– आरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व गिरदावर वृत्त अतिचारित कब्जे को नियमानुसार ध्वस्त कर एवं बेदखल कर पालना रिपोर्ट पृथक् से देवें। तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का से माँग कायमी करवाई जावे। गिरदावर वृत्त व पटवारी हल्का को पालनार्थ पृथक् से लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.10.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

तहसीलदार
गंगापुर सिटी

रजिस्टर"घ" के पेज संख्या ....4.....
पर रुपये 17/– की कायमी वर्ष
2019–20 की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार

Scanned with CamScanner